संख्या-1/2026/आई/1219805/001-10-25012-001-1-2025

प्रेषक,

शिव सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ०प्र०, प्रयागराज।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्ययकमें अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-098-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद संख्या-46कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-098-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद संख्या-46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के अन्तर्गत प्रावधानित अनुपूरक अनुदान धनराशि रू० 4,40,00,000.00 (रूपये चार करोड़ चालीस लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर निम्नलिखित नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि को व्यय करने में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

3. यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य अंकित किया जाय।

4. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 4,40,00,000 (रुपये चार करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 065 लेखा शीर्ष 2054000980300 अधिष्ठान व्यय-मानक मद 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-1/2026/001-10-25012-001-2-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।